कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
''वन धन भवन''
सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
E-mail: mfpfed.cg@nic.in ☎ (0771) 2513100 Website: www.cgmfpfed.org

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित नवा रायपुर अटल नगर एवं वृत्त/ जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित कार्यालयों में सहायक वन संरक्षक के स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन से सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक की संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 02.09.2022 सायं 5:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है । रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पद का नाम	रिक्त पद की संख्या
1	सहायक वन संरक्षक	05

उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है । उक्त पदों में आरक्षण संबंधी रोस्टर अनुसार पदों का आरक्षण विनिश्चिय किया जाएगा, जिसकी सूचना कार्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी । नियुक्ति से संबंधित विस्तृत विवरण हेतु कार्यालय के वेबसाईट www.cgmfpfed.org का अवलोकन करने का अनुरोध हैं ।

17/8/22

कार्यकारी संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ नवा रायपुर

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
"वन धन भवन"
सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
E-mail: mfpfed.cg@nic.in ☎ (0771) 2513100 Website: www.cgmfpfed.org

सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक के संविदा पद पर भर्ती हेतु अन्य उपबन्ध व शर्तें:-

1. आवेदन पत्र संघ के वेबसाइट से डाउनलोड करने के उपरांत आवश्यक प्रविष्टियॉं सुस्पष्ट अक्षरों में आवेदक द्वारा स्वयं पूर्ति कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।
2. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सावधानीपूर्वक एवं सही भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर यदि अन्य कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो नियोक्ता को आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त करने संबंधी आवश्यक सम्यक निर्णय लेने का अधिकार होगा ।
3. संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का सेवानिवृत्ति वर्ष से पूर्व के 03 वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन उत्कृष्ट या बहुत अच्छा होना आवश्यक है । सेवानिवृत्ति यदि 31 मार्च या इसके पूर्व की है तो सेवानिवृत्ति के कैलेण्डर वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन इसमें सम्मिलित नहीं होगा । उदाहरण के लिए यदि कोई अधिकारी माह जनवरी 2018 में सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनका वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, एवं वर्ष 2016-17 के गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा ।
4. संविदा नियुक्ति नियम के प्रावधान अनुसार चयन का आधार अंतिम 03 वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदन **"बहुत अच्छा"** या **"उत्कृष्ट"** होना अनिवार्य है ।
5. अगर बिन्दु 4 के अनुसार एक वर्ग में कोई दो या अधिक उम्मीदवार है, तब कम आयु के आधार पर चयन किया जायेगा अर्थात् जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि बाद में होगी, उन्हें वरीयता दी जाएगी ।
6. संघ के संविदा नियमानुसार सेवानिवृत्त सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिये निम्नलिखित पॉच बिन्दुओं पर जानकारी सेवानिवृत्ति पूर्व पदस्थ वृत्त कार्यालय से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत करें :-
   क) विभागीय जांच न होना ।
   ख) सेवा में रहते हुए अंतिम वर्ष में दंडित न होना ।
   ग) पेंशन रोकने के दंड से दंडित न होना ।
   घ) अंतिम 05 वर्षो में दोष सिद्ध न होना।
   ड़) सेवा के लिये अन्य सामान्य अनर्हतायें ।
7. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्रायविंग लायसेंस / पेन कार्ड, पासपोर्ट, किसी संस्था द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र आदि में से कोई एक) की छायाप्रति स्वयं के द्वारा सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

......2

8. आवेदक की आयु दिनांक **01.07.2022 को 70 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए । आयु के पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10 वीं की मार्कशीट अथवा सेवानिवृत्ति आदेश स्वयं द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें ।
9. ऐसे अधिकारी जो दिनांक 31.07.2022 को सेवानिवृत्त हो रहें है या इसके पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हीं के द्वारा आवेदन किया जावे ।
10. आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए ।
11. आवेदन पत्र केवल संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा । आवेदन पत्र दिनांक 02.09.2022 की सायं 5:00 बजे तक कार्यालय के पते पर पंजीकृत डाक से प्राप्त हो जाने चाहिये अथवा स्वयं द्वारा कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर जमा की जा सकती है। लेकिन निर्धारित तिथि व समय के उपरांत इस कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
12. विज्ञापन में दर्शित पदों की संख्या के संबंध में निर्णय का अधिकार नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी का होगा । आरक्षण संबंधी रोस्टर अनुसार वर्गवार पदों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा ।
13. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी ।
14. विज्ञापन की तिथि के पूर्व संघ मुख्यालय पर सीधे प्रस्तुत आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, यदि कोई आवेदन प्रस्तुत किया है तो निरस्त मानकर उम्मीद्वार पुनः आवेदन करेंगें ।
15. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अमान्य किये गये आवेदन पत्रों के संबंध में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी ।
16. चयन हेतु आवेदक की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर को होगा ।
17. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ बिना कोई कारण बताए सभी पदों को भरने अथवा भरे जाने वाले पदों की संख्या में परिवर्तन करने अथवा किसी भी पद को निरस्त करने अथवा यहाँ तक कि भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
18. छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला यूनियन में रिक्तियों के आधार पर पदस्थिति की जा सकती है नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत कर्तव्य पर उपस्थित न होना भविष्य में नियुक्ति के लिये अयोग्यता माना जावेगा ।
19. छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ में या किसी अन्य संस्था में संविदा नियुक्ति पर रहते हुये अपात्रता या अयोग्यता के प्रावधानों के अंतर्गत सेवा से पृथक अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा ।

12/8/2022

कार्यकारी संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ नवा रायपुर